राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः– प.177 / मुसप्र / लॉटरी / 2010–11 / 1576   दिनांकः– 22-9-11

कार्यालय आदेश

विषयः– वरीयता / आवास आवंटन लॉटरी के आयोजन की सक्षम स्वीकृति के संबंध मे।

परिपत्र क्रमांकः प.163 / मुसप्र / लॉटरी / 2010 / 2354 दिनांक 20.12.2010 के द्वारा सभी वृत–कार्यालयों को पंजीकृत आवेदकों की वरीयता निर्धारण एवं आवास आवंटन लॉटरी आयोजित किये जाने के संबध में दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसके क्रम में वृत–कार्यालयों से लॉटरी आयोजन की स्वीकृति मुख्यालय से चाही जा रही है, जिसका कोई औचित्य नहीं है।

पंजीकरण से आवास आवंटन तक मण्डल की सतत् प्रक्रिया है। अतः भविष्य में लॉटरी की स्वीकृति से संबधित पत्रावलियां मुख्यालय को प्रेषित नहीं की जावे।

जयपुर शहर के तीनों वृत–कार्यालयों मे पंजीकृत आवेदकों की वरीयता निर्धारण / आवास आवंटन लॉटरी निकाले जाने के लिए निम्नांकित अधिकारियों की समिति गठित की जाती हैः–

1	संबंधित अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता	–	अध्यक्ष
2.	संबंधित उप आवासन आयुक्त	–	सदस्य
3.	मुख्य सम्पदा प्रबन्धक का प्रतिनिधि	–	सदस्य
4.	संबंधित आवासीय अभियन्ता	–	सदस्य
5.	संबंधित सम्पदा प्रबन्धक	–	सदस्य सचिव

उप आवासन आयुक्त, वृत–प्रथम / द्वितीय / तृतीय, जयपुर द्वारा उक्त समिति की देखरेख में लॉटरी आयोजित की जायेगी।

उक्त आदेशों को माननीय अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(पवन कुमार गोयल)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव–आवासन आयुक्त, रा0 आ0 मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता / सचिव / निदेशक विधि, रा0 आ0 मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम / द्वितीय / तृतीय, पी. एण्ड एम. / वित्तीय सलाहकार / तकनीकी सहायक, आवासन आयुक्त / जन सम्पर्क अधिकारी, रा0आ0म0, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त–वृत–.................... रा0आ0म0, ...
6. आवासीय अभियन्ता, खण्ड–....................रा0आवम0, ...
7. सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक